पत्रांक-2/बी0एस0सी0ई01-19/2017 श्र0सं0.......

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

संकल्प

पटना, दिनांक-

विषय :- *बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के रिक्त चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार सचिवालय भोजशाला समूह-'घ' नियमावली, 2017 की कंडिका-6 (भर्त्ती) में उल्लिखित चयन-प्रक्रिया की अवधारण का निर्धारण।*

1. बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के रिक्त चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार सचिवालय भोजशाला समूह-'घ' नियमावली,2017 की ***कंडिका-6 (भर्त्ती)*** में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित अर्हतायें निर्धारित है:-

(क) ***शैक्षणिक योग्यता*** :- उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होगी।

(ख) ***अनुभव*** :- भारत सरकार/बिहार सरकार/अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटर/कुक/फुड एण्ड बेवरेज सर्विस/आतिथ्य एवं पर्यटन के लिए न्यूनतम छः माह का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अथवा श्रम संसाधन विभाग के दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत 100 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए निबंधित/ मान्यता प्राप्त होटल/रेस्तरॉं/गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस में पद के अनुरूप न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव अथवा बिहार विधान मंडल के न्यूनतम 10 सत्रों में आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्य करने का अनुभव।

2. इसके आलोक में निम्न रूप से ***चयन प्रक्रिया*** निर्धारित की जाती है :-

प्राप्त आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियमावली में गठित चयन समिति द्वारा निम्न प्रकार से मेधा सूची तैयार की जा सकेगी :-

क्र०सं०	विचारण क्षेत्र	अंक	अधिकतम अंक
1.	*श्रम संसाधन विभाग के दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत 100 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए निबंधित/मान्यता प्राप्त होटल/रेस्तरॉं/गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस में पद के अनुरूप न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव*		
	शैक्षणिक योग्यता– मैट्रिक	कुल प्राप्तांक (प्रतिशत में) का 50% **नोट**– CBSE/ICSE/अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को जहाँ केवल Grading System लागू हो तो कुल प्राप्त **CGPA X 9.5** =......... प्रतिशत का 50% (Annexure-'I' के अनुसार)	50 अंक
	अनुभव – (i) भारत सरकार/बिहार सरकार/अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटर/कूक/फुड एण्ड वेवरेज सर्विस/आतिथ्य एवं पर्यटन के लिए न्यूनतम छः माह का प्रशिक्षण एवं श्रम विभाग के दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत 100 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए निबंधित/मान्यता प्राप्त होटल/रेस्तरॉं/गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस में पद के अनुरूप न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव।	सात वर्ष या इससे अधिक का अनुभव – 50 अंक छह वर्ष का अनुभव – 45 अंक पाँच वर्ष का अनुभव – 35 अंक चार वर्ष का अनुभव – 25 अंक तीन वर्ष का अनुभव – 15 अंक	50 अंक

अथवा

2. बिहार विधान मंडल के न्यूनतम 10 सत्रों में आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्य करने का अनुभव।		
शैक्षणिक योग्यता– मैट्रिक	कुल प्राप्तांक (प्रतिशत में) का 50% **नोट**– CBSE/ICSE/अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को जहाँ केवल Grading System लागू हो तो कुल प्राप्त **CGPA X 9.5 =.........** प्रतिशत का 50% (Annexure-'I' के अनुसार)	50 अंक
अनुभव – (ii) बिहार विधान मंडल में न्यूनतम 10 सत्रों में आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्य करने का अनुभव।	20 सत्र या इससे अधिक का अनुभव – 50 अंक 17 से 19 सत्र का अनुभव – 45 अंक 14 से 16 सत्र का अनुभव – 35 अंक 11 से 13 सत्र का अनुभव – 25 अंक 10 सत्र का अनुभव – 15 अंक	50 अंक
	कुल अंक	100 अंक

* समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए चयन सूची बनाई जाएगी।

* समान अंक एवं समान जन्म तिथि वाले आवेदकों के नाम के अंग्रेजी Alphabet के हिसाब से चयन सूची बनाई जाएगी।

* समान अंक, समान जन्म तिथि एवं समान Alphabet वाले आवेदकों को लौटरी के हिसाब से चयन सूची बनाई जाएगी।

3. *__उम्र सीमा__ :–*

(क) अनारक्षित (पुरूष) :- 18 से 37 वर्ष
(ख) अनारक्षित(महिला)/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग :- 18 से 40 वर्ष
(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरूष एवं महिला) :- 18 से 42 वर्ष

__नोट__ :– (i) नियमित नियुक्ति में वर्त्तमान में अथवा पूर्व में विधान मंडल में कार्य कर चुके आकस्मिक मजदूरों को वेटेज देते हुए उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। सत्रावधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रत्येक सत्र के लिए 06 माह की दर से नियुक्ति की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 15 वर्षो की होगी किन्तु शैक्षणिक अर्हता में कोई शिथिलीकरण अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2447 दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में तीन वर्ष की रियायत दी जाएगी। बशर्त्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त सभी पदों एवं वर्गो के लिए विकलांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षो की छूट रहेगी।

4. *__वेतनमान__ :–* राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय-समय पर वेतनमान संबंधी निर्गत अनुदेश लागू होंगे।

5. *__आरक्षण__ :–* आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। अर्थात् बिहार के बाहर के आवेदक को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं0-673 दिनांक-08.03.2011 के आलोक में)

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144 दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटे में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर आरक्षण संबंधी निर्गत अनुदेश लागू होंगे।

6. *समय-समय पर रिक्ति के अनुसार नियुक्ति की जा सकेगी।*

7. ***सूची का प्रकाशन*** :- (i) केवल ऑन-लाईन आवेदन, स्वीकार किये जाएगें। तदोपरान्त मेरिट के आधार पर कुल रिक्ति का 10 गुणा के दायरे में आने वाले आवेदकों से उनके सभी सर्टिफिकेट एवं आधार कार्ड को अपलोड कराया जाएगा, जिनकी सूची विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उसके उपरांत मेरिट एवं सर्टिफिकेट के आधार पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(ii) ऑन-लाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि विज्ञापन के समय निर्धारित की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी कारण से ऑन-लाईन किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) आवेदन ऑन-लाईन स्वीकार किया जायेगा। अन्य किसी भी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

8. आवेदन के उपरांत संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति किसी भी समय विभाग द्वारा मांगे जाने पर उपस्थापित करना होगा।

9. मात्र आवेदन करने से नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

नोट :- अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित ऑन-लाईन आवेदन तथा ऑन-लाईन भरे गये आवेदन एवं सर्टिफिकेट में थोड़ा भी अंतर रहने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। पूर्ण रूप से इसकी जवाबदेही आवेदक की होगी।

10. नियमावली में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा, जिसके विरूद्ध किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का प्रतिकार मान्य नहीं होगा।

ह0/-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/बी0एस0सी0ई01-19/2017 श्र0सं0....... पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/बी0एस0सी0ई01-19/2017 श्र0सं0......3358 पटना, दिनांक- 11.5.18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/5/18
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ANNEXURE-I

Name of Board	Passing Year	Roll No.	Roll Code	Nature of Marks Obtained Only Marks ○ Only Grade ○ Both Marks & Grade ○	Name of Subject (Same Order of Marksheet)	Marks Obtained Grade Obtained	Full Marks	Add ⊕	Total Marks Obtained CGPA Obtained	Overall Percentage Obtained	Remarks

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

Ar/-Arvind/Sec-2 Canteen-796

Annexure-II

अनुभव

1. श्रम विभाग के दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत 100 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए निबंधित/मान्यता प्राप्त होटल/रेस्तरा/गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस में पद के अनुरूप न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव ◯
2. बिहार विधान मंडल में न्यूनतम 10 सत्रों में आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्य करने का अनुभव ◯

(दोनों में से कोई एक का ही चुनाव करें)

अगर प्रथम (01) का चुनाव करते है तो -

वैसे संस्थान का विवरण जो 100 या उससे अधिक कर्मचारी के लिए निबंधित हो						*अभ्यर्थी के इन संस्थानों में अनुभव का विवरण*					
Types of Establishment (Private/Govt./ Semi Govt./ Others)	Name of Establishment	Address of Establishment 1. Mohalla/Road- 2. P.O.- 3. P.S. - 4. City/Dist. - 5. Pin -	Registration No. of Establishment (Shops & Establishment Act)	Date of Registration	Issuing Authority	Name of Post by Held by Candidate	From	TO	Total Number of Days	Remarks	Add ⊕
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

* *कॉलम-10 में* **Total Number of Days** *में छः माह या छः माह से अधिक को एक वर्ष में गिना जाएगा।*

अगर दूसरे (02) का चुनाव करते है तो -

Assembly/Council *का विवरण*		*अभ्यर्थी के* **Assembly/Council** *में अनुभव का विवरण*					
Financial Year	Name of session	House where worked (Assembly/ Council)	Name of Post in which applicant worked	Wages Received	Certificate given by Canteen Manager	Remarks	Add
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Monsoon Session ◯ 2. Budget Session ◯ 3. Winter Session ◯		1. Skilled ◯ 2. Semi Skilled ◯ 3. Unskilled ◯	1. Yes ◯ 2. No ◯	1. Yes ◯ 2. No ◯		⊕

* जिस वित्तीय वर्ष में सत्र की शुरूआत होगी, उपरोक्त कॉलम-01 में वित्तीय वर्ष वही माना जायेगा।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

D:/-Arvind/Sec-2 Canteen-787